न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीना, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 15 / 2020

निर्णय दिनाक :– 08.01.2021

उनवान

औमप्रकाश पुत्र श्री प्रहलाद जाति नाई निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0) – प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. श्री दिनेश मोरवाल अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या नया 21 पुराना 22 खसरा नम्बर 1298 / 621 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.20 हैक्टर व खाता संख्या नया 313 पुराना 318 खसरा नम्बर 630 रकबा 0.17, खसरा नम्बर 631 रकबा 0.94 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.11 हैक्टर तन बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक है। प्रार्थी का नाम औमप्रकाश है, जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड , फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र इत्यादि मे अंकित है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम सहवन से औमजी अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम औमप्रकाश है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम औमप्रकाश के स्थान पर सहवन से औमजी दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य मे विक्रय करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारो से वंचित होना पडरहा है। प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे अपना नाम दूरूस्त

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

करवाने हेतु श्रीमान् तहसीलदार जी से भी निवेदन किया तो उन्होने अदालत हाजा में कार्यवाही करने हेतु कहने पर उक्त वाद पत्र अविलम्ब सेवामें पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए औमजी पुत्र प्रहलाद के स्थान पर औमप्रकाश पुत्र प्रहलाद किया जाना अपेक्षित बताया गया है।

वकील प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, पत्रावली के तथ्य तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

पेरोकार सरकार ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रकट नही की गयी है, बल्की औमजी के स्थान पर औमप्रकाश किया जाना अपेक्षित बताया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार उनियारा को प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की आराजी खाता संख्या नया 21 पुराना 22 खसरा नम्बर 1298 / 621 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.20 हैक्टर व खाता संख्या नया 313 पुराना 318 खसरा नम्बर 630 रकबा 0.17, खसरा नम्बर 631 रकबा 0.94 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.11 हैक्टर तन बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम औमजी पुत्र प्रहलाद के स्थान पर औमप्रकाश पुत्र प्रहलाद अंकित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। यदि इससें किसी वितिय संस्था या अन्य संस्था एवं किसी व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो संबंधित को सूचित करने के लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08–01–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी उनियारा

सुश्री रजनी मीणा
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी उनियारा